महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 719 / नौ–9–2014–193ज / 13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 19 जून, 2014

विषयः राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों हेतु सामान्य समनुदेशन की धनराशि इलेक्ट्रानिक माध्यम (ई–पेमेन्ट) से सीधे निकाय के खातों में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–बी–2–1555 / दस–2013–1–2013 दिनांक 15 जुलाई, 2013 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों हेतु दी गयी धनराशि आपके द्वारा निकायों को आवंटित की जाती है। नगर निगमों हेतु संबंधित मण्डलायुक्त एवं नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त संबंधित जनपद कोषागार द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। प्रदेश में समस्त भुगतान ई–पेमेन्ट द्वारा किया जाना प्रारम्भ हो गया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त धनराशि निकायों को सीधे उनके खाते में हस्तान्तरित की जाती है, उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत देय धनराशि भी ई–पेमेन्ट द्वारा निकायों को दी जाय, ताकि स्थानीय निकायों के लिये आवंटित / देय धनराशि उन्हें समयान्तर्गत प्राप्त हो सके। इसके लिये नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.डी. कोड का डाटा बेस तैयार किया जाय।

3. राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को दी गयी धनराशि आहरित कर अन्य किसी खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि कोषागार से आहरित कर इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रत्येक माह सीधे निकायों के खाते में निर्धारित समय सीमा के अन्दर हस्तान्तरित की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निकायों का बैंक खाता, जिसमें धनराशि हस्तान्तरित की जा रही हो, वह सही हो।

कृपया उक्त निर्देशानुसार तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही की सूचना से **शासन को 15 दिन में** अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

18/6/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Spgo-2

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी उ०प्र० इलाहाबाद।
2. उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा) उ०प्र० इलाहाबाद।
3. सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,उ०प्र०।
   (द्वारा स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ)
9. वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-2 / वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
10. गार्ड फाइल / वेब मास्टर,वेब साइट पर लोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।